



UPST010056242026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित—सुनील कुमार—IV, उच्चतर न्यायिक सेवा
न्यायिक अधिकारी कोड सं० यू.पी.1885

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०—1904 / 2026

सरवरी बेगम उम्र लगभग 43 वर्ष पत्नी मोहम्मद अकलीम निवासी ग्राम सोरांव,
थाना बल्दीराय, जनपद सुलतानपुर

..... प्रार्थिनी / अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या—99 / 2026

धारा—191(2), 190, 110, 109(1), 115(2), 352,

351(3) भारतीय न्याय संहिता

थाना—बल्दीराय, जनपद—सुलतानपुर

दिनांक 19.06.2026

प्रार्थिनी / अभियुक्ता सरवरी बेगम की ओर से थाना बल्दीराय, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या—99 / 2026 अन्तर्गत धारा—191(2), 190, 110, 109(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानसार सी०आई०एस० पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में सहअभियुक्तगण मो० अकलीम एवं मो० अलीम के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०—1299 / 2026 एवं 1298 / 2026 सत्र न्यायालय द्वारा दि० 20.05.2026 को स्वीकार किया गया है तथा सहअभियुक्त अब्दुल रहीम का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०—1513 / 2026 दि० 30.05.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है तथा सहअभियुक्ता जमीला का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०—1731 / 2026 दि० 10.06.2026 को सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

सम्बन्धित थाने से अभियुक्ता के विरुद्ध उक्त प्रकरण के अलावा कोई अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थिनी / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के

तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा अफजल खान द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 21.04.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दि० 20.04.2026 समय रात करीब 08:00 बजे वादी के पिता हसमुद्दीन अपने खेत से वापस घर लौट रहे थे। बाजार के पास पहुँचे ही थे कि वहाँ पर पहले से ही घात लगाकर बैठे गांव के मो० अकलीम, अलीम, अब्दुल रहीम, हम्माद, अकमल, सरवरी, जमीला और अज्ञात लोग अपने-अपने हाथों में लाठी-डण्डा, कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड व ईंट-पत्थर से लैस होकर वादी के पिता को मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां व जान से मार डालने की धमकी देते हुए जान से मार डालने की नीयत से मारने लगे। वादी के पिता की चिल्लाने की आवाज सुनकर वादी के बड़े पिता मोहब्बतदीन व नजमुद्दीन वादी के पिता को बचाने के लिए दौड़कर गये। उक्त सभी लोग एकराय होकर उन दोनों को भी जान से मार डालने की नीयत से मारने लगे। हल्ला-गुहार पर गांव के लोगों को आता देखकर तीनों लोगों को मरा समझकर मां-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुए मौके से भाग गये। उपरोक्त लोगों के मारने से सभी तीनों लोगों के सिर व पूरे शरीर में गम्भीर चोटें आयी हैं। वादी ने 112 डायल किया। मौके पर पुलिस आयी और हसमुद्दीन को बेहोशी की हालत में तथा सभी चोटहिल लोगों को गम्भीर अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बल्दीराय लेकर आयी और चोट अधिक लगने के कारण डॉक्टर ने जिला अस्पताल सुलतानपुर रेफर कर दिया तथा सुलतानपुर में डॉक्टर ने गम्भीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ ट्रॉमा सेण्टर भेज दिया। जहां पर सभी पीड़ितों का इलाज चल रहा है और वहां पर सभी की स्थिति गम्भीर बनी हुई है। वादी लखनऊ से आकर प्रार्थना पत्र दे रहा है।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण मो० अकलीम, अलीम, अब्दुल रहीम, हम्माद, अकमल, सरवरी (प्रार्थिनी/अभियुक्ता), जमीला एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी सर्वथा निर्दोष है, उसे कथित अभियोग में हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता एवं वादी मुकदमा के परिजनों के मध्य एक बंटवारे का सिविल वाद न्यायालय श्रीमान सिविल जज (अ०ख०) महोदय

सुलतानपुर बउनवान इमामन आदि बनाम मोहम्मद अब्दुल रहीम आदि प्रचलित है। आये दिन वादी मुकदमा और उसके परिजन प्रार्थिनी के परिवारीजनों को बुरी तरह से प्रताड़ित व कब्जा करने की गरज में रहते हैं, जिसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों के मध्य कई बार सुलह समझौता थाना स्तर पर हुआ परन्तु वादी मुकदमा के परिजन दोषसिद्ध सजा याफता आजीवन कारावास के मुल्जिम और सरहंग दबंग किस्म के व्यक्ति होने के कारण सुलह समझौते पर कभी कायम नहीं रहते हैं और आये दिन आमादा फौजदारी होते रहते हैं। वादी मुकदमा और उसके परिजनों के द्वारा सिविल प्रकृति के वाद को स्थानीय थाना को हमवार करके छोटी मोटी मार-पीट को गम्भीर धाराओं में पंजीकृत कराकर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। प्रार्थिनी के परिवार वालों को भी गम्भीर चोटें आयी हैं, जिसके साक्ष्य के तौर पर सम्बन्धित मेडिकल प्रपत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है, जिसका वादी मुकदमा या अभियोजन पक्ष के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कथित प्राथमिकी में किसी भी स्वतन्त्र साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे कथित घटना स्वयं में अस्वभाविक प्रतीत होती है। अभियोग उपरोक्त में वादी मुकदमा और अन्य को सामान्य प्रकृति की चोटें आयीं, जो कि कत्तई मर्मस्थल पर नहीं है और जिस कारण से अभियोजन उपरोक्त अंधारा-109(1) बी०एन०एस० के परिक्षेत्र में नहीं आता है। महज पुलिस को हमवार करके उपरोक्त धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है ताकि सिविल मुकदमे में सुलह समझौता कराया जा सके। प्रार्थिनी दौरान अग्रिम जमानत मुकदमे के अन्वेषण जांच एवं विचारण में सहयोग करेगी। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से वादी मुकदमा के पिता हसमुद्दीन व उसके चाचागण मोहब्बतदीन व नजमुद्दीन को लाठी-डण्डा, कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड व ईंट-पत्थर से बुरी तरह मारा-पीटा गया, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आयीं। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

निम्नांकित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि—

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि सात व्यक्तियों व कुछ अज्ञात लोगों पर यह आक्षेप है कि इन्होंने लाठी-डण्डा, कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड व ईंट-पत्थर से वादी मुकदमा के पिता हसमुद्दीन व वादी मुकदमा के

चाचागण मोहब्बतदीन व नजमुद्दीन को जान से मारने की नीयत से उनके सिर व पूरे शरीर पर प्रहार कर गम्भीर चोटें पहुँचाई।

2. चोटहिलगण हसमुद्दीन, मोहब्बतदीन व नजमुद्दीन के बयानों के परिशीलन से भी यह स्पष्ट है कि तीनों चोटहिलगण ने सभी सात अभियुक्तगण पर सामूहिक रूप से मारने-पीटने का आक्षेप लगाया है। किसी भी अभियुक्त पर यह विशिष्ट आक्षेप नहीं है कि उसने किस चोटहिल के शरीर के किस भाग पर चोट पहुँचाई थी।

3. आघात आख्या के अनुसार चोटहिल हसमुद्दीन के शरीर पर 01 चोट आयी है, जो सिर के टेम्पोरल क्षेत्र पर ट्रॉमैटिक स्वेलिंग के रूप में है, जिसे पर्यवेक्षण में रखते हुए अग्रिम इलाज हेतु उच्चतर संस्थान के लिए रेफर किया गया। चोटहिल मोहब्बतदीन की आघात आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल 02 चोटें पायी गयी हैं, जिसमें से चोट सं0 1 माथे पर फटे हुए घाव की चोट के रूप में व चोट सं0 2 बायें हाथ में ट्रॉमैटिक स्वेलिंग के रूप में है, जिन्हें पर्यवेक्षण में रखते हुए अग्रिम इलाज हेतु उच्चतर संस्थान के लिए रेफर किया गया। चोटहिल नजमुद्दीन की आघात आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल 02 चोटें पायी गयी हैं, जिसमें से चोट सं0 1 बायें घुटने पर खरोंच के रूप में व चोट सं0 2 माथे पर ट्रॉमैटिक स्वेलिंग के रूप में है, जिन्हें पर्यवेक्षण में रखते हुए अग्रिम इलाज हेतु उच्चतर संस्थान के लिए रेफर किया गया।

4. केस डायरी के पर्चा नं0-11 में अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट मोहब्बतदीन, नजमुद्दीन व हसमुद्दीन, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी लखनऊ से सम्बन्धित है, का उल्लेख किया गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी लखनऊ की सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि तीनों चोटहिलगण को कोई गम्भीर अथवा प्राणघातक चोट सिर में नहीं आयी थी। चोटहिलगण मोहब्बतदीन, नजमुद्दीन व हसमुद्दीन के एन0सी0सी0टी0 हेड के अनुसार उनके सिर में कोई असामान्यता अथवा फ्रैक्चर नहीं पाया गया है।

5. प्रार्थिनी/अभियुक्ता महिला है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी/अभियुक्ता से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है।

7. यह सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि जब कोई घटना घटित होती है तो वादी पक्ष द्वारा विपक्षी पक्ष के पुरुषों के साथ-साथ घर की महिलाओं को भी नामित कर दिया जाता है।

8. सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थिनी/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार पाता है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता सरवरी बेगम की ओर से थाना बल्दीराय, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या-99/2026 अन्तर्गत धारा-191(2), 190, 110, 109(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता को उसके द्वारा मु0 50,000/-रु0 (पचास हजार रुपये) का स्वबंध पत्र व समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तों के अधीन, अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जावे :-

- 1- प्रार्थिनी/अभियुक्ता विवेचना एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी।
- 2- प्रार्थिनी/अभियुक्ता आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगी, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।
- 3- प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
- 4- प्रार्थिनी/अभियुक्ता न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

दिनांक: 19.06.2026

मधुलिका सिंह/-

(सुनील कुमार-IV)

सत्र न्यायाधीश,

सुलतानपुर

J.O. Code UP 1885